



फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम सूरजगढ़

राजस्थान सरकार बनाम अमरसिंह वगै०

क्र.प.२२८
केसम मुकदमा धारा द्राव्य 212

मुकदमा न० 414 / 2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
11.03.2022	<p>पत्रावली पेश हुई राज पैरोकार द्वारा डूंडी की रिपोर्ट मूल दावा में पेश ककी। प्रतिवादीगण को बार बार आवाज लगवायी गई। सांय 05 बजे दूबारा आवाज लगवायी गई कोई उपस्थित नही आया। अतः अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 07 के खिलाफ एक पक्षीये कार्यवाही अमल में लायी जाती है। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 15.03.2022 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"> उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़</p>	
15.03.2022	<p>पत्रावली पेश हुई। प्रार्थना पत्र समरी ट्रायल से प्रभावित है। मूल वाद में निर्णय हो चुका है अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को आगे चलाये जाने का कोई औचित्य नहीं है अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को खारीज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखील दफ्तर हो।</p> <p>Note:- मूल पत्रावली में निर्णयानुसार अमल करे।</p> <p style="text-align: center;"> उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़</p>	